

				मॉनिटरिंग सैल के साथ ग्रामीणों की भागीदारी
ग.	प्रचालन चरण			
1.	रात के समय परियोजना घटक क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था	रात के समय स्तनधारियों तथा पक्षियों को बाधा हो सकती है	बचाव तथा सुरक्षा प्रचालनों के लिए न्यूनतम प्रकाश रखा जाएगा।	प्रबन्धक (सामाजिक एवं पर्यावरण)
2.	ऐलाइन धारा में अपवर्तन बिन्दु से टेलरेस निकासी के बीच जबकि दुहंगन पट्टी में अपवर्तन बिन्दु से ब्यास नदी में इसके संगम तक जल के प्रवाह में कमी	□ कम प्रवाह तथा बड़ी गाद के स्तर से जल चर वन्य जीव पर प्रभाव पड़ सकता है।	□ अपवर्तन बिन्दुओं के तुरन्त बाद दोनों धाराओं में न्यूनतम 0.150 घन मीटर प्रति सैकड़ प्रवाह को बनाए रखने का प्रावधान। □ घरेलू जल के लिए सीवेज उपचार संयंत्र □ डिसिल्टिंग चैम्बरों से फलशिंग की निकासी पर नियंत्रण; □ पांच स्थानों पर चट्टानों, पत्थर के साथ/के बिना तार की मेश (गेबियन) 4 स्थानों पर चैक डेम तथा 5 स्थानों पर स्परस के साथ चैक दीवारों का प्रावधान	प्रबन्धक (सामाजिक एवं पर्यावरण) प्रबन्धक (सिविल)

❖ नोट :- वनस्पति एवं जीव एवं वन्य जीवन जैव विविधता पर गहन अध्ययनों के पूरा हो जाने के बाद आरम्भिक ई ए पी को अद्यतन किया जाना है।

तालिका 4.2: सामाजिक प्रकटीकरण की घटनाओं का कालानुक्रमण

क्रमांक	दिनांक	स्थान	बैठक का प्रकार (सार्वजनिक बैठकें/फोकस समूह/ अन्य)	भागीदार (कितने लोग किस गांव से तथा किस गैर-सरकारी संगठन ने भाग लिया)
1	ई आर एम द्वारा क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान			
(i)	मार्च 12, 2003	प्रीनि गांव	सार्वजनिक विचार-विमर्श	कम्पनी ने ई आर एम सलाहकारों की उपस्थिति में 16 परिवारों और ग्राम पंचायत के साथ चर्चा की।
(ii)	मार्च 13, 2003	एलेऊ गांव	सार्वजनिक विचार-विमर्श	कम्पनी ने ई आर एम के सलाहकारों की उपस्थिति में 7 परिवारों से चर्चा की।
(iii)	मार्च 13, 2003	जगतसुख गांव	समूह चर्चाओं के साथ सार्वजनिक विचार-विमर्श	कम्पनी ने ई आर एम के सलाहकारों की उपस्थिति में 25-26 परिवारों से चर्चा की।
(iv)	मार्च 14, 2003	जगतसुख गांव	सामूहिक चर्चाएं	कम्पनी ने जगतसुख की ग्राम पंचायत के साथ ई आर एम सलाहकारों की उपस्थिति में चर्चा की।
2	मई 07, 2003	प्रीनि गांव	सार्वजनिक बैठक	प्रीनि की ग्राम पंचायत तथा 300 ग्रामीणों से कम्पनी, आई एफ सी, ई आर एम के प्रतिनिधियों ने तथा, एस डी एम मनाली, ए एफ सी एवं रेंज अधिकारी, कुल्लू ने चर्चा की।
3	नवम्बर 13, 2003	प्रीनि गांव	फोकस समूह	कम्पनी ने 13 ग्रामीणों तथा आई एफ सी तथा ई आर एम के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में चर्चा की।

4	जनवरी 6, 2004	जगतसुख गांव	सार्वजनिक बैठक	कम्पनी ने जगतसुख ग्राम पंचायत तथा लगभग 350 ग्रामीणों से आई एफ सी तथा ई आर एम के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में चर्चा की।
5	मार्च 15-18, 2004	प्रीनि एवं जगतसुख गांव	फोकस समूह	स्वतंत्र पर्यवेक्षक ने प्रीनि में 40-50 लोगों तथा जगतसुख में 80-90 लोगों के साथ सार्वजनिक बैठकें आयोजित की।
6	अप्रैल 30, 2004	प्रीनि गांव	फोकस समूह	कम्पनी ने प्रीनि के प्रधान(मुखिया ग्रामीण) तथा 14 अन्य गांव वासियों से ई आर एम के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में चर्चा की।
7	मई 1, 2004	जगतसुख गांव	फोकस समूह	कम्पनी ने जगतसुख से आए 45 ग्रामीणों तथा ई आर एम और स्वतंत्र सचालक के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में चर्चा की।
8	मई 2, 2004	एलेऊ गांव	फोकस समूह	कम्पनी ने एलेऊ के गांव वासियों से ई आर एम के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में चर्चा की।
9	मई 20, 2004	प्रीनि गांव	सार्वजनिक बैठक	कम्पनी और ई आर एम के प्रतिनिधियों ने प्रीनि की ग्राम पंचायत, लगभग 200 ग्रामीणों, कुल्लू के उपायुक्त तथा आई एफ सी के प्रतिनिधियों और स्वतंत्र पर्यवेक्षक की उपस्थिति में चर्चा की।
10	मई 21, 2004	जगतसुख गांव	सार्वजनिक बैठक	कम्पनी ने जगतसुख की ग्राम पंचायत, जगतसुख गांव के लगभग 400 ग्रामीण, कुल्लू के उपायुक्त तथा आई एफ सी

					के प्रतिनिधियों और स्वतंत्र पर्यवेक्षक की उपस्थिति में चर्चा की।
11	जुलाई 7, 2004	प्रीनि गांव	फोकस समुह		प्रीनि तथा शुरू के ग्रामीणों के साथ स्वतंत्र पर्यवेक्षक तथा ई आर एम के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में चर्चा हुई।
12	जुलाई 8, 2004	जगतसुख गांव	फोकस समुह		जगतसुख के 150 ग्रामवासियों के साथ स्वतंत्र पर्यवेक्षक तथा ई आर एम के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में चर्चा हुई।

अनुलग्नक 4.3 ऐलाइन दुहंगन जल विद्युत परियोजना के लिए किए गए सभी पर्यावरणीय एवं सामाजिक अध्ययनों की सूची। कम्पनी ने बताया कि सभी रिपोर्ट्स की प्रतिलिपियां परियोजना स्थल पर उपलब्ध करवाई गई हैं।

क्र. सं.	अध्ययन	एजेंसी	दिनांक
1.	पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ई.आई. ए) रिपोर्ट	रेल इंडिया टेक्नीकल इंजीनियरिंग सर्विस (आर आई टी ई एस)	जनवरी, 1996
2.	ई आई रिपोर्ट का उच्चीकरण	इन्डो कनेडियन कंसेलटनसी सर्विस लि० (आई.सी.सी.एस)	अप्रैल, 2001
3.	हिमाचल प्रदेश राज्य पर्यावरण बचाव एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एच पी एस ई पी पी सी बी) द्वारा उपलब्ध वायु, जल एवं मृदा गुणवत्ता के लिए आधार रेखा डाटा जोड़ते हुए ई आई ए का उच्चीकरण	आई सी सी एस	अप्रैल, 2003
4.	पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (ई एस आई ए) रिपोर्ट	पर्यावरण संसाधन प्रबन्धन (ई आर एम)	दिसम्बर, 2003

4.4 केंद्रीय तथा राज्य सरकारों से प्राप्त अनुमोदन

घटनाक्रम आदेश के अनुसार कम्पनी के द्वारा प्राप्त किए गए अनुमोदनो की सूची तालिका 4.4 में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 4.4 घटनाक्रम आदेश के अनुसार अनुमोदनो की सूची

क्रम सं०	विवरण	टिप्पणी
1.	हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एम ओ यू)	हि० प्र० सरकार के साथ 28-08-93 को समझौता ज्ञापन(एम ओ यू) पर हस्ताक्षर किए
2.	कार्यान्वयन अनुबन्ध के हस्ताक्षर की तिथि तक समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) विस्तार	हि० प्र० सरकार का पत्र सं० एम पी पी एफ (2)4/93-III दिनांक 1.2. 2002
3.	कार्यान्वयन अनुबन्ध	हि० प्र० सरकार के साथ कार्यान्वयन अनुबन्ध दिनांक 22-02-2001
4.	आर एस डब्ल्यू एम लि० को भारतीय बिजली प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा 2(4-क) के अन्तर्गत एक उत्पादन के रूप में घोषणा तथा आर एस डब्ल्यू एम लि० के संस्था के अंतर्नियमों का ज्ञापन	हि० प्र० सरकार के पत्र सं० एम पी पी एफ(2)- 14/93 दिनांक 24-06-94
5.	के.वि.प्र० का सिद्धांत अनुमोदन	के० वि० प्र० पत्र सं० 2/हि०प्र०/18/96-पी ए सी/282 दिनांक 31.03.1996
6.	बि.प्र० अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत राजपत्रित अधिसूचना जिसके द्वारा यदि कोई हो तो, किसी लाइसेन्सी या अन्य व्यक्ति या सामान्य जनता के सदस्य अपतियां तथा/या प्रतिवेदन आमंत्रित करना	समाचार पत्रों तथा राजपत्र में क्रमशः दिनांक 18-8-2001 तथा 11.09.2001 को अधिसूचना का प्रकाशन
7.	बि प्र० अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत राजपत्रित अधिसूचना के विरुद्ध प्राप्त आपतियां या प्रतिवेदन	आर एम डब्ल्यू एम लि०/ उत्पादन कम्पनी से दिनांक 31-01-2002 पत्र सं० डी/ए डी/ के वि प्र०-02
8.	बि प्र अधिनियम की धारा 18क के अन्तर्गत स्थापना, संचालन, एवं रखरखाव के लिए हि० प्र० सरकार के आदेश ए डी एच ई पी (192-एम डब्ल्यू), जिला कुल्लू, हि० प्र०	वि.प्र. अधिनियम की धारा 18-क के हि०प्र० सरकार के पत्र सं० एम पी पी - एफ (2)/14/93-III दिनांक 13.03. 2001 के द्वारा
9.	हि.प्र० अधिनियम 1948 की धारा 72 के अन्तर्गत जल उपलब्धता के बारे में हिमाचल प्रदेश सरकार का प्रमाणपत्र	बि.प्र. अधिनियम की धारा 72 के अन्तर्गत हि.प्र. सरकार के प्रमाणपत्र पत्र सं० एम पी पी - एफ (2)/14/93-III दिनांक 13.03.2001
10.	निधियों की उपलब्धता	आर एस डब्ल्यू एम एल को प्रमाणपत्र के द्वारा इक्विटी निधियों की पुष्टि दिनांक 22.01.2002 आई सी आई सी

		आई के पत्र सं० ई ओ जी, 8019 दिनांक 27.09.2001 के द्वारा
11.	संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट दिनांक अप्रैल, 2001 के आधार 'अपरोच पत्र' के अनुसार हि० प्र० रा० बि० बोर्ड को संशोधित प्रमाणपत्र पर के ज आ/ के वि प्र के लिए तकनीकी आर्थिक अनुमोदन	हि० प्र० ए० वि० बे का पत्र सं० एच पी एस एस ई बो (सचिवालय) सी ई (पी एस पी खण्ड एस ओ) 401 (एच) ए एल डी/2001-2600-01 दिनांक 18.01.2002
12.	हि.प्र. सरकार से संशोधित परियोजना रिपोर्ट एवं लागत का अनुमोदन	हि० प्र० सरकार का पत्र सं० एम पी पी-एफ (2)/14/93-III दिनांक 1.2.2002
13.	वन भूमि के अपवर्तन के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का अनुमोदन	एम ओ ई एफ पत्र सं० 8-109/99-एफ सी दिनांक 25-10-2000
14.	एम ओ ई एफ, भारत सरकार का पर्यावरण प्रभाव अनुमोदन	एम ओ ई एफ पत्र सं० जे. 1201/33 96-1 ए दिनांक 12-12-2000
15.	विद्युत का लाभ उठाने वाले	दि वि बो के साथ दिनांक 16-06-2000 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन
16.	एच पी एस ई बी द्वारा प्रीनि (परियोजना पावर हाऊस) से नालगढ़ तक विद्युत ले जाने के लिए हिमाचल प्रदेश के अन्दर वन अनुमोदन एवं पारेषण लाइन का निर्माण	एच पी एस ई बी पत्र सं० एच पी ए एस आई की (सचिवालय)/सी ई०(पी एस पी एण्ड एस आ)/401(एच)/ए एल डी+ 20001 548-49 दिनांक 13.03.2001
17.	पी जी सी आई एल द्वारा नालागढ़ से दिल्ली तक विद्युत ले जाना	पी जी सी एल पत्र सं० बी डी डी-14 दिनांक 26.6.2000 तथा पी जी सी आई एल की विस्तृत प्रणाली अध्ययन रिपोर्ट संदर्भ सं० सी-बी डी डी -162 दि० 07.08.01
18.	विस्फोटक मैगजीन के निर्माण के लिए भारत सरकार का अनुमोदन	विस्फोट के संयुक्त मुख्य नियंत्रक फरीदाबाद पत्र सं० एफ बीडी/ ए पी पी/ 4295 दिनांक 23.05.02
19.	भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4क के अन्तर्गत राजपत्र अधिसूचना	राजपत्र में अधिसूचना दिनांक 06.06.02 को प्रकाशित हुई
20.	निर्माण-पूर्व ढाचों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की अनुमति	पत्र सं० एम पी पी-ए/2/-17/93-III दिनांक 13.06.02
21.	केन्द्र द्वारा दिया गया तकनीकी आर्थिक अनुमोदन	पत्र सं० 21 एच पी /18/96- पी ए सी /8/08-39
22.	32.167 है० वन भूमि के अपवर्तन के लिए एम ओ ई एफ से औपचारिक एवं अतिन्म अनुमोदन	पत्र सं० 8-109 एफसी दिनांक 18-10-2002
23.	हिमाचल प्रदेश पर्यावरण बचाव एवं प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड एच पी एस ई पी पी सी बी अनुमोदन	पत्र सं० ई पी पी सी बी/ऐलाइन दुंहगन एच ई पी-प्रीनि- मनाली 120002-83211-18 दिनांक 28-05-2004

5.0 संलग्नकों की सूची

क्रम	वर्णन	संलग्नक
1	हि0 प्र 0 सरकार के साथ कार्यान्वयन अनुबन्ध का परिच्छेद 5.24 जिस में पेड़ गिराने का कार्य केवल राज्य सरकार के वन विभाग के द्वारा किया जाना है।	संलग्नक - I
2	हि0 प्र 0 सरकार की अधिसूचना की प्रतिलिपि जिस के द्वारा पर्यावरणीय मॉनिटरिंग एवं कार्यान्वयन कार्य को सुनिश्चित के लिए, वन समिति गठित की गई है।	संलग्नक -II
3	प्रीनि ग्रामीण तथा कम्पनी के मध्य अनुबन्ध	संलग्नक III
4	बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न	संलग्नक IV
5	मलबा निपटान क्षेत्र का चित्र	संलग्नक V
6	नदी तटीय अधिकारों का सम्मान तथा क्षतिपूर्ति के लिए शपथ-पत्र	संलग्नक VI
7	दुहंगन की निकासी का डाटा दर्शाती हुई तालिका एवं ग्राफ	संलग्नक VII
8	हि0 प्र 0 सरकार के साथ कार्यान्वयन अनुबन्ध का परिच्छेद 5.11 जिस में डाइवरसन स्थल से परियोजना द्वारा न्यूनतम निकासी सुनिश्चित की गई है।	संलग्नक VIII
9	फाउन्डेशन फौर इकोलौजिकल सेक्योरिटी के मतस्यकी एवं नदी परिस्थितिकिय के अध्ययन करने का स्वीकार पत्र	संलग्नक IXA
10	वर्ल्ड फेजेण्ट एसोसिएशन-इंडिया के वन्यजीवन एवं फेजेण्ट के अध्ययन करने का स्वीकार पत्र	संलग्नक IXB
11	जल भण्डारण एवं अपवर्तन ढांचे की ऊंचाई के वर्गीकरण पर विवरण	संलग्नक X
12	शिकायत निवारक तंत्र के गठन के लिए कार्यालय आदेश	संलग्नक XI
13	स्वतंत्र अपील तंत्र के गठन के लिए कार्यालय आदेश	संलग्नक XII
14	ग्राम वासियों तथा कम्पनी के बीच निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए निर्धारित मूल्य दर्शाता हुआ भूमि अधिग्रहण समझौता	संलग्नक XIII
15	सुरंग पर भूकम्पीय प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए रूड़की विश्वविद्यालय को दिया गया कार्यालय आदेश	संलग्नक XIV
16	प्रीनि के अनापत्ति प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि	संलग्नक XV
17	जगतसुख के अनापत्ति प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि	संलग्नक XVI
18	जगतसुख की महिला मंडल तथा ग्रामीणों के समर्थन पत्र की प्रतिलिपियां	संलग्नक XVII